

101
2318

रसीद दस्तावेज वगैरह


मुकाम

72
2372

101
2318

7 JAN 2012

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2 144319 R. 2886	3 6400-	4




दिनांक 7 JAN 2012

उप-पंजीयक

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 661878



स्टाम्प रुपये- 8500/-

प्लॉट के प्रीमियम की राशि रुपये :- 1,44,319/-
सालाना लीज का आकार रुपये :- 2,886/-

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
प्राधिकरण भवन 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

261 House

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 103 इन्दौर के
भूखण्ड क्रमांक 261-बी का लीजडीड

सदस्य क्रमांक :- 1 0 3 2 1 2 1 2

जावक क्रमांक 29
दिनांक - 5 JAN 2012

इन्दौर विकास प्राधिकारी तथा शर्मदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के मध्य प्राधिकारी के सकल्प क्रमांक 9 दिनांक 31.01.86 के अंतर्गत निष्पादित अनुबंध दिनांक 28.06.1997 में निहित शर्तों के अनुसार संस्था द्वारा अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटन एवं लीजडीड पंजीयन करने हेतु सूचित किया होने से योजना क्रमांक 103 का भूखण्ड क्रमांक 261-बी का कब्जा प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.11 को श्री आशीष पिता श्री मोहनलाल जी निवासी 7, नृसिंग बाजार, इन्दौर म.प्र. (जो कि उक्त संस्था के सदस्य है) को प्रथम 30 वर्ष के लिये इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा लीज पर आवंटित कर उसका कब्जा सौंपा जा चुका है। उक्त भूखण्ड की चतुः सीमा निम्नानुसार है तथा उसे सलग्न साईट प्लान में लाल रंग की रेखाओं से दर्शाया गया है। उक्त भूखण्ड सामने 9.00 मीटर, पीछे 9.00 मीटर, एक बाजू 15.00 मीटर, दूसरी बाजू 15.00 मीटर के नाप का होकर प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 135.00 वर्गमीटर है।

.....2.


Handwritten signature

Asish Agrawal

इन्दौर विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

1199 12/20/11
17/11/2011

1000 रु. 8500/-



~~प्रथम पक्ष द्वारा विद्यालय प्राधिकरण को शपथ~~

~~द्वारा लिखित तदर्थक नाम मन्त्र~~

~~द्वारा पत्र काशीप सिंह मोहनलाल~~

~~निकाय 7 रुकित बाबा~~

~~लक्ष्मी~~

~~एन गिली~~

स्टॉम्प वेन्डर (00) 9904529300.
17, राजस्वग्राम कालोनी, इन्दौर

प्राथमिक विधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम सुलभ	7938/-
नगर निगम विधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम सुलभ	397/-
इंचायत विधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम सुलभ	165/-
इपकर विधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम सुलभ	8500/-
इतिरिक्त सुलभ सुलभ	
कुल सुलभ	
योग	8500/-

एन वंजीवत, इन्दौर

आशीष लाल मोहनलाल

द्वारा उप जिला इन्दौर
जिला इन्दौर के उप प्रजीवत
कार्यालय के तारीख 7/10/12
डी.स. प्र. 3/10
बन्धुत कि. मका

एन वंजीवत, इन्दौर

Shin
Amrany

10/10/12



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 661879

-2-

:: प्लाट की चतुः सीमा ::

पूर्व में	:-	भूखण्ड क्रमांक बी-260 योजना क्रमांक 103
पश्चिम में	:-	भूखण्ड क्रमांक बी-262 योजना क्रमांक 103
उत्तर में	:-	18.00 मीटर वाईड रोड
दक्षिण में	:-	भूखण्ड क्रमांक बी-252 योजना क्रमांक 103

उक्त चतुः सीमा के बीच की 135.00 वर्गमीटर भूमि का प्रीमियम रुपये 1,44,319/- (अक्षरी रुपये एक लाख चवालीस हजार तीन सौ उन्नीस मात्र) निर्धारित किया है तथा प्रीमियम की राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से लीजरेंट रुपये 2886/- (अक्षरी रुपये दो हजार आठ सौ छियासी रुपये मात्र) निर्धारित किया है।

भूखण्ड प्राधिकारी की सामान्य शर्तों पर 30 वर्षों की लीज पर रहवासी उपयोग के लिए दिया गया है तथा लीजरेंट की राशि लीजगृहिता द्वारा प्रति वर्ष अग्रिम देय है। प्रीमियम की राशि तथा प्रथम वर्ष का लीजरेंट लीजगृहिता द्वारा उपरोक्त गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा प्राधिकारी कार्यालय में जमा किया जा चुका है।


:- शर्तें :-

1. उपरोक्त भूखण्ड प्राधिकारी द्वारा प्रथमतः 30 वर्ष की लीज पर लीजगृहिता को आवासीय उपयोग हेतु आवंटित किया गया है, उसके बाद सदरलीज का नवीनीकरण 30-30 वर्ष की अवधि के लिए दो बार किया जा सकेगा। प्रत्येक नवीनीकरण के समय 50 प्रतिशत तक लीजरेंट प्रत्येक बार प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक नवीनीकरण के समय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त शर्तें/ नियम / विनियम आरोपित करें या वर्तमान शर्तों में संशोधन करे जो वह उचित समझे।

.....3.....

Abish
Aparna

अधिकारी
अधिकारी



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671392

-3-

1-ए. लीजडीड की प्रथम अवधि दिनांक 20.07.2011 से प्रारंभ होकर दिनांक 19.07.2041 तक कुल 30 वर्ष तक रहेगी। इस अवधि के पश्चात प्राधिकारी द्वारा यदि लीजडीड की अवधि आगामी 30 वर्ष के लिये बढ़ायी जाती है तो लीजगृहिता द्वारा स्वयं के व्यय पर नया लीज विलेख/लीजडीड निष्पादित करवाकर उसे विधिवत् पंजीकृत किराया जाना लीजगृहिता पर बंधनकारक रहेगा।

2. यह कि, उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 20.07.2011 को मौके से प्राप्त किया गया है। लीजगृहिता भूखण्ड के कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 6 माह की अवधि में भवन निर्माण का नक्शा नगर निगम से स्वीकृत करवाकर स्वीकृत नक्शे की एक प्रति भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण करके उसकी लिखित सूचना भी प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। नक्शा स्वीकृत किए बिना कोई भी निर्माण कार्य लीजगृहिता द्वारा नहीं किया जावेगा तथा ऐसा प्रत्येक निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हुआ है उसे अनाधिकृत माना जावेगा। निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण नहीं होने पर लीज निरस्त कर पुनः प्रवेश का अधिकार प्राधिकारी का रहेगा। भवन निर्माण का नक्शा भूखण्ड के आवटन आदेश तथा लीजडीड में उल्लेखित प्रयोजन के अनुरूप होना अनिवार्य है। कब्जा देने के दिनांक से लीजगृहिता भूखण्ड के संरक्षण के लिए स्वयं उत्तरदायी रहेगा। इस प्रकार आवासीय उपयोग के विरुद्ध किया गया उपयोग आवटन की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर भूखण्ड का आवटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

3. यह कि आवटित भूखण्ड पर भवन निर्माण एवं उपयोग समय समय पर प्रभावशील एवं प्रचलित इन्दौर नगर के मास्टर प्लान (अंगीकृत विकास योजना) झोनल प्लान एवं झोनिंग रेग्यूलेशन एवं भूमि विकास नियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य प्राप्त करने एवं अन्य कार्यवाही करों का दायित्व लीजगृहिता का रहेगा।

.....4.....

✓
Adish
Agrawal


000000
सिद्धा अधिकारी ब्रेड-2,
भूमि विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1201
17/11/2017



2017
2-01-12

संलग्न पत्रिका पत्रिका
दि. 17/11/2017 को पत्रिका पत्रिका सु. व
2/12/2017 को पत्रिका पत्रिका सु. व
3/12/2017 को पत्रिका पत्रिका सु. व
इस पत्रिका के लिए पत्रिका पत्रिका सु. व
रुपयदा पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व
पी ए. एल. पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व
पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व



देवीदास चावमारे
स्टॉम्प केंद्र (RM) 9302520306
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व
2-01-12
पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व
पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व



Abhis
Agarwal

पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व
3-18-14
पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व
पत्रिका पत्रिका पत्रिका सु. व

Handwritten signature

Handwritten signature



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671393

-4-


4. यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना में पानी की सप्लाई हेतु बाहरी पाईप लाईन की व्यवस्था अपने खर्च से करेगा, किन्तु भवनों के अंदर लीजगृहिता चाहे तो उसकी लागत पर पाईप कनेक्शन दिया जावेगा उक्त लागत इन्दौर विकास प्राधिकारी के इंजीनियर द्वारा निश्चित की जावेगी। पानी सप्लाई में रुकावट या किसी कारण से सप्लाई नहीं हो पाने पर लीजगृहिता इन्दौर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध किसी प्रकार का क्लेम करने का अधिकारी नहीं होगा।
5. यह कि लीजगृहिता को प्रतिवर्ष का देय लीजरेंट निर्धारित तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करना होगा। लीजरेंट एवं भूखण्ड की अन्य कोई भी देय राशि 6 माह से अधिक समय तक बकाया रहने पर प्राधिकारी को लीज निरस्त करने का एव बकाया राशि भू-राजस्व के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा।
6. यदि लीजगृहिता आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण एवं उपयोग उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत स्वीकार्य उद्देश्य हेतु करने में असमर्थ रहता है तो उसे भूखण्ड प्राधिकारी को समर्पित करना होगा। ऐस स्थिति में प्रीमियम की जो रकम जमा की गई है, उसमें से 20 प्रतिशत रकम काटकर शेष रकम प्राधिकारी द्वारा लीजगृहिता को वापस की जा सकेगी। लीजरेंट की रकम किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी।
7. यह कि प्लॉट पर स्वीकृत नक्षे के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किए बिना उक्त प्लॉट को लीजगृहिता द्वारा किसी प्रकार से हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा। प्लॉट पर भवन निर्माण हेतु प्लॉट किसी वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादित के पास यदि गिरवी रखना आवश्यक हो तो उसके लिए लीजगृहिता द्वारा प्राधिकारी को आवेदन करने का पर इसके लिए नियमानुसार शुल्क जमा करने पर तथा प्रतिवर्ष लीजरेंट जमा करने का भार सर्वोपरि रखने की शर्त पर इजाजत दी जा सकेगी।

.....5....


Handwritten signature
संपदा जलिकानी ब्रेंड-2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
Handwritten signature

1202
12/11/2011

लॉग



वेवेण्ड वाघमारे
स्टॉम्प केंद्र (M) 9302529300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671394

-5-

8. यह कि, लीजगृहिता को प्लाट एवं उस पर निर्मित मकान का गंदा पानी भूमिगत गटर से संबद्ध करना होगा एवं उसके लिए नियमानुसार कनेक्शन चार्जस प्राधिकारी को जमा करना होगा। जहां भूमिगत गटर चालू नहीं है वहां लीजगृहिता स्वयं से सेप्टिक टैंक का निर्माण करेगा। इसी प्रकार लीजगृहिता को नल कनेक्शन भी नियमानुसार नगर निगम से प्राप्त करना होगा।

9. यह कि, लीजगृहिता द्वारा प्लाट पर बगैर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति कुंआं आदि नहीं खोद सकेगा।

10. यह कि लीजगृहिता शासकीय कर, डायवर्शन टैक्स एवं डायवर्शन प्रीमियम देय एवं नगर निगम को कर तथा अन्य कर नियमानुसार समय समय पर अदा करेगा।

11. यह कि, लीजगृहिता प्लॉट पर अथवा प्लाट पर निर्मित भवन पर घास, भूसा, रूई, लकड़ी, कोयला इत्यादि। सहज में आग पकड़ने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं कर सकेगा।

12.अ यह कि आवंटित भूखंड मय भवन के किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है तो विक्रय के पूर्व प्राधिकारी में नियमानुसार हस्तांतरण शुल्क जमा कराकर विक्रय की अनुमति प्राप्त करेगा। प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बगैर विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार देय हस्तांतरण शुल्क के बराबर ही पेनल्टी देय होगी।

ब. आबंटन दिनांक से एक वर्ष तक भूखण्ड का विक्रय नहीं किया जा सकेगा एवं आबंटन दिनांक से एक वर्ष पश्चात ही हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकेगी।

13. यह कि लीजगृहिता प्लाट की नप्ती पुनः करना चाहे तो उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

.....6....

सहायक कमिश्नरी वेड-2,
इन्दौर



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 67-1395

-6-

14. यह कि, लीजगृहिता लीजडीड का रजिस्ट्रेशन आवश्यक स्टाम्प पर अपने खर्च से करवाएगा तथा रजिस्ट्रेशन के पश्चात रजिस्टर्ड लीजडीड की फोटोकापी 30 दिन के अंदर प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।
15. यह कि लीज की समाप्ति के लिए लीज की मासिक अवधि की मानकर 15 दिन की अवधि के सूचना पत्र द्वारा लीज समाप्त किया जा सकेगा ।
16. यह कि उक्त शर्तों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत बने व्ययन नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा निर्मित संपत्ति के अंतरण एवं व्ययन नियम जो वर्तमान में प्रचलित है का लीजगृहिता को ज्ञान है एवं ये समस्त शर्तें लीजगृहिता पर बंधनकारक है । शासन एवं प्राधिकारी द्वारा भविष्य में समय समय पर नियमों एवं विनियमों में किए गए संशोधन भी लीजगृहिता पर बंधनकारक होंगे और उसका पालन लीजगृहिता को करना होगा ।
17. यह कि किसी भी शर्त का उल्लंघन लीजगृहिता द्वारा किए जाने पर लीज निरस्त की जावेगी एवं प्रीमियम की जो भी रकम होगी वह प्राधिकारी द्वारा जप्त की जावेगी एवं उक्त प्लॉट पेटे जमा लीज की रकम किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाई जावेगी ।
18. यह कि, लीजरेंट अथवा कोई भी मांग किसी भी समय बकाया रहने पर एवं उक्त लीजरेंट या मांग देय दिनांक से एक केलेण्डर माह पश्चात तक जमा नहीं करने अथवा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या पालन नहीं करने की दशा में उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या पालन नहीं करने की दशा में उपरोक्त शर्तों के अलावा भी प्राधिकारी को भूखण्ड पर पुनः प्रवेश का अधिकारी होगा, मानो यह लीजडीड संपादन नहीं की गई हो, प्राधिकारी को ऐसी स्थिति में पुनः प्रवेश की तिथि से 3 माह पश्चात भूखण्ड पर के समस्त भवन एवं निर्माण कार्य हटाने का अधिकार होगा ।

.....7.....

[Handwritten signature]

Ashish Agrawal

सपदा अधिकारी प्रेड-2,
इन्दौर नगर प्राधिकारी, इन्दौर

१२०५
१७/११/२०११

२०११

२१ OCT २०११

देवेन्द्र चावमारे
स्टॉम्प केंद्र (III) ९३०२५२९३००
१७, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इ.पं.

उप पञ्जीयक कार्यालय, इ.पं. (१३३)
७ - JAN २०१२
२३१८
दस्तावेज क्र. A1/..... (१६)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671396

-7-

19. प्रीमियम की राशि का निर्धारण वर्तमान विकास लागत, भूमि मुआवजा आदि मदों का समावेश करते हुए किया गया है। शासन के आदेश क्रमांक एफ-3/39/32/85 दिनांक 02.07.1997 द्वारा बाह्य विकास शुल्क संबंधी आदेश दिनांक 28.11.1985 स्थगित कर दिया होने से भूखण्डों की प्रीमियम में बाह्य विकास शुल्क की राशि सम्मिलित नहीं की गई है, किन्तु भविष्य में शासन आदेश दिनांक 2/7/1997 शासन द्वारा समाप्त किए जाने की स्थिति में बाह्य विकास शुल्क की राशि भूखण्डों की प्रीमियम में सम्मिलित की जावेगी। इसी प्रकार भविष्य में प्रीमियम की गणना में सम्मिलित किसी भी मद की राशि में वृद्धि होती है तो पुनरीक्षित प्रीमियम एवं लीजरेंट की राशि के भुगतान का दायित्व आपका एवं संस्था का संयुक्त रूप से तथा पृथक पृथक रूप से रहेगा, किन्तु पुनरीक्षित प्रीमियम एवं लीजरेंट के भुगतान का प्रथमतः दायित्व आप सदस्य का ही रहेगा।

20. यह कि, उपरोक्त लीजडीड में जहां जहां प्राधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है वहां इन्दौर विकास प्राधिकरण के उत्तराधिकारी का भी समावेश होगा इसी प्रकार लीजगृहिता शब्द में उसके उत्तराधिकारी का भी समावेश है ऐसा माना जावेगा।

21. प्रीमियम की दर में भविष्य में वृद्धि होने पर उक्त राशि लीजगृहिता को जमा करना होगी, साथ ही तदनुसार अनुपूरक लेख लिखा जावेगा, उस पर मुद्रांक एवं पंजीयक शुल्क अदा करना अनिवार्य होगा।


.....8.....

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
समदा अधिकारी प्रेड-2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1205

17/11/2011

रामा



देवेंद्र चिमारे
स्टॉम्प केंद्र (M) 9302529300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, उन्नीबाग, इन्दौर

उप पञ्जीयक कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

7 - JAN 2012

2318

दस्तावेज क्र. A1/.....(16)

Handwritten text on the right edge of the page, possibly a signature or reference number.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671397

-8-

यह लीजडीड उभय पक्षों के बीच स्वस्थ वृद्धि की अवस्था में स्वेच्छा से संपादित की गई ताकि वक्त जरूरत काम आये ।

गवाह :-

1 नाम Vishal Garg
पिता Rohit Garg
पूर्ण पता P-C Madhoni Nagar

Ashish Agrawal
हस्ताक्षर लीजगृहिता

2 नाम अशोक शर्मा
पिता अशोक शर्मा
पूर्ण पता 5 हनुमान, 6127 इंदौर
7-12/24/10/2012


अशोक शर्मा
हस्ताक्षर लीजदाता
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर



अशोक शर्मा
संपदा अधिकारी सेड-2,
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

1206
17/11/2011

20/11/11



देवीश्याम बाघमारे

स्टॉम्प केंद्र (M) 0302529300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

उप पन्जीयक कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

7 - JAN 2012

2318

दस्तावेज क्र. A1/.....(16)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 981795


Asli
Asli

cccccc
संपदा अधिकारी प्रेट-2,
बनारस विकास प्राधिकारी, इन्दौर

(20)

17/11/211

राम




देवेंद्र वाघमारे

स्टॉम्प वेल्ड (M) 9302520300
17, राजाराम काठिकी, उन्नीबाग, इन्डोर

07/01/12

रि
837 9 2318
65-73



आ.क शुल्क 6375-

संजीवन शुल्क

वृष्ठांकन शुल्क 25-

इसका शुल्क

योग 6400-

~~राम देवेंद्र वाघमारे~~